

राजनयिक पासपोर्ट

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजनयिक पासपोर्ट का वषिय, वषिय रूप से जारी करने और रद्द करने की शक्त के संबंध में, चर्चा का वषिय रहा है।

- पासपोर्ट एक आधिकारिक सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज होता है जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिये पहचान और यात्रा दस्तावेज के रूप में कार्य करता है।

राजनयिक पासपोर्ट क्या है?

- परचिय:**
 - राजनयिक पासपोर्ट आधिकारिक राजनयिक मशिनों या सरकारी व्यवसाय पर किसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को जारी किये जाते हैं।
 - इनका उपयोग राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों और कभी-कभी उनके निकटतम परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
 - ये पासपोर्ट पहचान का एक रूप होते हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कुछ कानूनी विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों जैसे गरिफ्तारी, हरिसत और मेज़बान देश में कुछ कानूनी कार्यवाही से छूट प्रदान करते हैं।
- पात्रता:** भारत में वदिय मंत्रालय का कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग कई श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों को राजनयिक पासपोर्ट जारी करता है, जिन्हें 'टाइप डी' पासपोर्ट भी कहा जाता है:
 - भारतीय वदिय सेवा (Indian Foreign Services- IFS) की शाखा A तथा B के तहत कार्य करने वाले सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्त और अधिकारी आधिकारिक व्यवसाय के लिये वदिय यात्रा करते हैं।
 - केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों (सांसदों) सहित आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों का चयन करना।
- नरिसूत करने की शक्ति:**
 - राजनयिक पासपोर्ट को नरिसूत करने का अधिकार पासपोर्ट प्राधिकरण के पास होता है।
 - हालाँकि, सरकार किसी राजनयिक पासपोर्ट को न्यायालय के आदेश के बाद ही नरिसूत कर सकती है।
 - पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत, एक राजनयिक पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है यदि धारक ने इसे गलत तरीके से प्राप्त किया है, इसे जानकारी को छपिकर प्राप्त किया है, यदि पासपोर्ट प्राधिकरण इसे भारत के हतियों के लिये आवश्यक मानता है, या यदि धारक को दोषी ठहराया गया है या भारत में आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है।

पासपोर्ट और वीजा के बीच अंतर:

वषियताएँ	पासपोर्ट	वीजा
जारी करतता प्राधिकरण	भारत का वदिय मंत्रालय	वदिय देश का दूतावास या वाणजिय दूतावास
उद्देश्य	अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिये भारतीय नागरिकता और पहचान का प्रमाण	किसी वषिय वदिय देश में प्रवेश की अनुमति
वैधता	10 वर्ष	प्रकार, देश और उद्देश्य के आधार पर भिन्न
आवश्यकता	वदिय यात्रा करने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिये अनविरय (अपवादों को छोड़कर)	देश के आधार पर भिन्न (वीजा-मुक्त समझौते मौजूद हैं)

div class="border-bg">

राजनयिक पासपोर्ट को कवर करने वाला अंतरराष्ट्रीय कानून:

- राजनयिक संबंधों पर वयिना अभसिमय:**
 - यह अभसिमय राजनयिक पासपोर्ट धारकों के वषिय अधिकारों और उन्मुक्तियों सहित राजनयिक कानून के नियमों की रूपरेखा तैयार

करता है।

■ **परचालन वीजा छूट समझौते:**

- यह राजनयिक पासपोर्ट धारकों को उन देशों में बनिा वीजा के 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है, जहाँ उनकी यात्रा व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिये न हो।
- भारत ने राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिये **जर्मनी** सहित 34 देशों के साथ परचालन वीजा छूट समझौते किये हैं।

पासपोर्ट के प्रकार:

पासपोर्ट के प्रकार	वैधता	रंग	जारीकर्त्ता
साधारण (P प्रकार)	वयस्कों के लिये 10 वर्ष, अवयस्कों के लिये 5 वर्ष	नीला	सभी भारतीय नागरिक
अधिकारिक	सामान्य पासपोर्ट के समान	श्वेत	सरकारी अधिकारी
राजनयिक	पाँच वर्ष या उससे कम	लाल रंग	राजनयिक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उनके आश्रित
उत्प्रवास जाँच आवश्यक (ECR)	साधारण पासपोर्ट के समान	नारंगी	वे भारतीय नागरिक जिन्होंने 10वीं कक्षा की शिक्षा पूरी नहीं की है,
आपातकालीन प्रमाणपत्र	अल्प वैधता	-	आपात स्थिति में विदेश में भारतीय नागरिक (पासपोर्ट खो जाने/समाप्त होने पर भारत की एकल यात्रा)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/diplomatic-passport>

